

छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहन हेतु छात्रवृत्ति

1. सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजना के तहत पालक/अभिभावक की वार्षिक आय की सीमा अधिकतम रूपये 24000/- निर्धारित है जिसे बढ़ाकर अधिकतम रूपये 96000/- वार्षिक (रूपये छियान्नबे हजार मात्र) निर्धारित किया जाता है।
2. कक्षा 8वीं में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले निःशक्त छात्र-छात्राओं को उच्चतर माध्यमिक स्तर 9वीं में नियमित छात्र-छात्रा के रूप में प्रवेश लेने पर एक मुश्त रूपये 2500/- (रूपये दो हजार पाँच सौ मात्र) प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किया जावेगा। इसके अतिरिक्त उच्चतर माध्यमिक 12वीं की परीक्षा 60 प्रतिशत से अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण करने वाले निःशक्त छात्र/छात्राओं को स्नातक स्तर पर महाविद्यालय में नियमित छात्र-छात्रा के रूप में प्रवेश लेने पर प्रोत्साहन राशि के रूप में एक मुश्त रूपये 3000/- (रूपये तीन हजार मात्र) प्रदान किया जावेगा। उक्त प्रोत्साहन राशि की प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति योजना के तहत की जावेगी।

; kst uk vrxlr vkonu i = ds l kfk fuEufyf[kr iæk.k i = l ayXu gksx%&

1. जाति प्रमाण पत्र
2. मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र
3. आय प्रमाण पत्र
4. गत वर्ष उत्तीर्ण अंकसूची
5. विद्यालय/महाविद्यालय/शाला प्रमुख की अनुशंसा सील,मुहर,हस्ताक्षर सहित

मध्यप्रदेश शासन,
सामाजिक न्याय विभाग

निःशक्त छात्र/छात्रा को शिक्षा प्रोत्साहन राशि स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र

1. छात्र/छात्रा का पूरा नाम लिंग
2. पिता /पालक /अभिभावक का पूरा नाम
3. निवास स्थान का पूरा पता
4. शैक्षणिक संस्थान का नाम
5. निः शक्तता का प्रकार
6. जन्मतिथि
7. कक्षा जिसमें छात्र /छात्रा द्वारा प्रवेश लिया गया है
8. पूर्व कक्षा जिसमें छात्र द्वारा 60 या इससे अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण की गई है
9. पिता /पालक /अभिभावक की वार्षिक आय

विकलांगता
दर्शाता छात्र/
छात्रा का फोटो

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और प्रमाण-पत्रों के आधार पर पूर्ण और सत्य है। शिक्षा प्रोत्साहन राशि हेतु निःशक्तता प्रमाण पत्र और अभिभावक का आय प्रमाण -पत्र एवं कक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र संलग्न है।

स्थान.....

छात्र /छात्रा का पूरा नाम

दिनांक.....

कक्षा

शैक्षणिक संस्था का नाम

संस्था प्रमुख का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री /कुमारी आत्मज श्री /श्रीमती द्वारा संस्था में दिनांक को कक्षा में नियमित रूप से प्रवेश लिया गया है। छात्र /छात्रा द्वारा संस्था में नियमित छात्र /छात्रा के रूप में कक्षा में 60 प्रतिशत अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की गई है। छात्र /छात्रा द्वारा इस संस्था में प्रवेश दिनांक से तक नियमित रूप से कुल उपस्थिति / शैक्षणिक दिवसों की 60 प्रतिशत उपस्थिति रही है। छात्र/छात्रा को शिक्षा प्रोत्साहन राशि स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

स्थान.....

दिनांक.....

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा

म.प्र. शासन
सामाजिक न्याय विभाग, जबलपुर

क्रमांक - नि:क./राष्ट्रीय न्यास/

दिनांक

प्रति,

जिला मेडिकल बोर्ड, जिला चिकित्सालय,
जिला

विषय : विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में।

महोदय,

श्री/श्रीमती/कु.

आत्मज/आत्मजा/पति जो कि इस कार्यालय में उपस्थित हुए हैं, इन्हें
विकलांग प्रमाण पत्र जारी करने की कृपा करें।

भवदीय

प्रभारी अधिकारी

जिला चिकित्सा मण्डल :

विकलांगों के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र

क्रमांक

दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने

श्री/श्रीमती/कु.

आयु आत्मज/आत्मजा/पति

पूरा पता

व्यक्तिगत रूप से परीक्षण आज

दिनांक को किया है तथा पाया है कि श्री/श्रीमती/कु.

निम्नलिखित विकलांगता से पीड़ित हैं

भारत सरकार, समाज कल्याण मंत्रालय के आदेश क्रमांक 4-2/83 एच.डब्ल्यू. 3 दिनांक 6 अगस्त, 1986 के अनुसार एवं का.आ.-908
(अ) केन्द्रीय सरकार निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 (1996 का 1) के अनुसार
विकलांगता का प्रतिशत शब्दों में
हैं तथा यह माइल्ड/मॉडरेट/प्रोफाउन्ड/सीवियर विकलांग की श्रेणी में आता है/नहीं आता है (जो भी लागू न हो काट दें) यह प्रमाणित किया
जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी मेडिकल/इंजीनियरिंग/
पॉलिटेक्निक/आई.टी.आई./बी.एड./डिप्टी/बी.टी.आई. एवं अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययन हेतु शारीरिक रूप से सक्षम है।

यह प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से तीन वर्ष के लिए वैध है / यह प्रमाण-पत्र स्थायी है।

पहचान चिन्ह (1)

(2)

यह प्रमाण पत्र कानूनी कार्यवाही के लिए मान्य नहीं है।

आवेदक के हस्ताक्षर

सदस्य
जिला मेडिकल बोर्ड

सदस्य
जिला मेडिकल बोर्ड

अध्यक्ष
जिला मेडिकल बोर्ड

भारत सरकार
समाज कल्याण विभाग
अपाहिज व्यक्तियों के लिये छात्रवृत्ति
आय प्रमाण पत्र

देखिये नियम - 7 (ख)

मैं प्रमाणित करता हूँ कि जहाँ तक मेरी जानकारी और विश्वास है
श्री/कुमारी/श्रीमती
(उम्मीदवार का नाम) निवास स्थान
के माता-पिता/संरक्षकों की तमाम स्रोतों से कुल सम्मिलित आय रु. मासिक आय है।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

नाम साफ अक्षरों में

तारीख :

पद नाम

स्थान :

कार्यालय की मुहर

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी का पिता/संरक्षक यह वचन देता हूँ
कि छात्रवृत्ति मिलते रहने की अवधि में यदि मेरी उपर्युक्त आय में कभी भी कोई परिवर्तन हो जाये तो उसकी सूचना सीधे समाज
कल्याण विभाग को दे दूंगा।

तारीख :

हस्ताक्षर

व्यवसाय :

स्थान :

डाक का पता :

नोट : यह प्रमाण पत्र जिस राजस्व अधिकारी द्वारा दिया जाये जो नायब तहसीलदार या किसी सक्षम पद से कम श्रेणी का न हो
या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र या केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के राज्य पत्रित अधिकारी या संसद सदस्य/या
राज्य विधान सभा का प्रमाण पत्र हो। कृपया इस आवेदन-पत्र को ध्यान से पढ़कर भरा जावे।